अध्याय III : राजस्व क्षेत्र

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

पिछले तीन वर्षों के दौरान सं.शा.क्षे. प्रशासनों द्वारा वसूल किए गए कर तथा गैर–कर राजस्वों का उल्लेख **तालिका 3.1.1** में किया गया है।

तालिकाः 3.1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14
1.	कर राजस्व	2599.93	2593.67	2795.67
2.	गैर–कर राजस्व	1003.15	1105.27	1364.69
	सं.शा.क्षे. प्रशासनों को कुल राजस्व प्राप्तियां	3603.08	3698.94	4160.36

स्रोतः गृ.मं. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

यद्यपि कुल राजस्व प्राप्तियों में 2012–13 में दर्ज 2.66% की वृद्धि के प्रति 2013–14 में पिछले वर्ष से 12.47% की वृद्धि हुई थी, कर राजस्व का अंश 2011–12 में 72.16% से गिरकर 2013–14 में 67.20% हो गया। 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में पाँचों सं. शा.क्षे. संबंधित अंश निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट–8

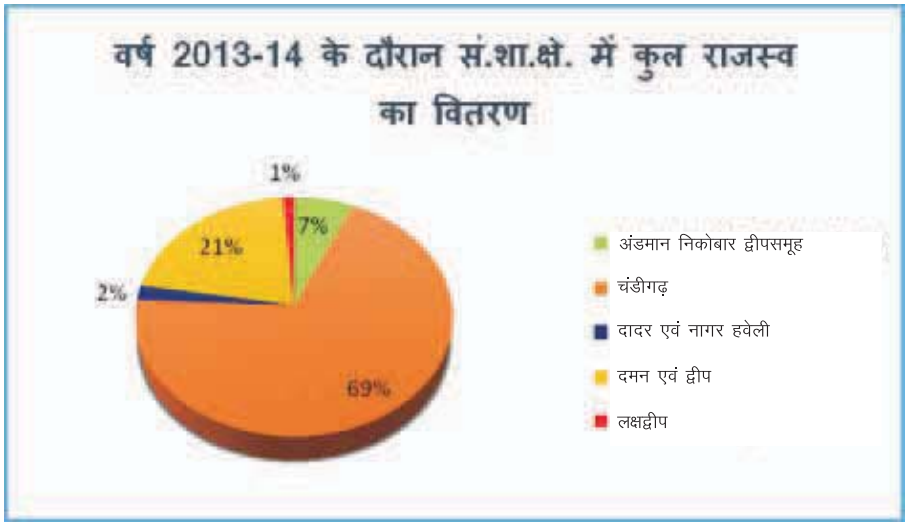

3.1.2 कर राजस्व

2012–13 तथा 2013–14 की अवधि के दौरान पाँच सं.शा.क्षे. प्रशासनों द्वारा वसूल किए गए कर राजस्व के विवरण **तालिका 3.1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका–3.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र .सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	वर्ष	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादरा एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप	कुल
1.	भूमि राजस्व	2012-13	24.32	--	0.69	0.43	0.12	**25.56**
		2013-14	0.80	--	0.01	0.63	0.17	**1.61**
2.	स्टांप एवं पंजीकरण	2012-13	4.04	90.43	13.88	19.37	0.47	**128.19**
		2013-14	4.18	126.07	2.20	14.43	0.51	**147.39**
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	33.80	277.05	1.75	131.49	--	**444.09**
		2013-14	41.80	256.00	3.18	199.38	--	**500.36**
4.	बिक्रीकर	2012-13	--	1100.93	321.39	384.13	--	**1806.45**
		2013-14	--	1332.04	74.65	514.46	--	**1921.15**
5.	वाहनों पर कर	2012-13	1.47	104.06	20.33	14.45	--	**140.31**
		2013-14	2.05	133.13	2.87	11.33	--	**149.38**
6.	अन्य	2012-13	0.31	46.81	--	1.45	0.50	**49.07**
			2.39	71.64	--	1.44	0.31	**75.78**
कुल		2012-13	**63.94**	**1619.28**	**358.04**	**551.32**	**1.09**	**2593.67**
		2013-14	**51.22**	**1918.88**	**82.91**	**741.67**	**0.99**	**2795.67**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँचों सं.शा.क्षे. द्वारा संग्रहीत कुल कर राजस्व में 2012–13 2013–14 के दौरान 7.79 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से चण्डीगढ़ (+18.50 प्रतिशत) तथा दमन एवं दीव (+34.53 प्रतिशत) द्वारा अधिक संग्रहरणों द्वारा हुई थी जो शेष तीनों सं.शा.क्षे. (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (–19.89 प्रतिशत), दादरा एवं नागर हवेली (–76.84 प्रतिशत) तथा लक्षद्वीप (–9.17 प्रतिशत) में विपरीत प्रवृत्ति से समायोजित हो गए थे। पाँचों सं.शा.क्षे. में से चण्डीगढ़ सबसे बड़ा योगदानकर्ता था जबकि सबसे अधिक संग्रहण 'बिक्री कर' शीर्ष के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान कर प्राप्तियों का सं.शा.क्षे. के अनुसार संवितरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया हैः–

चार्ट–9

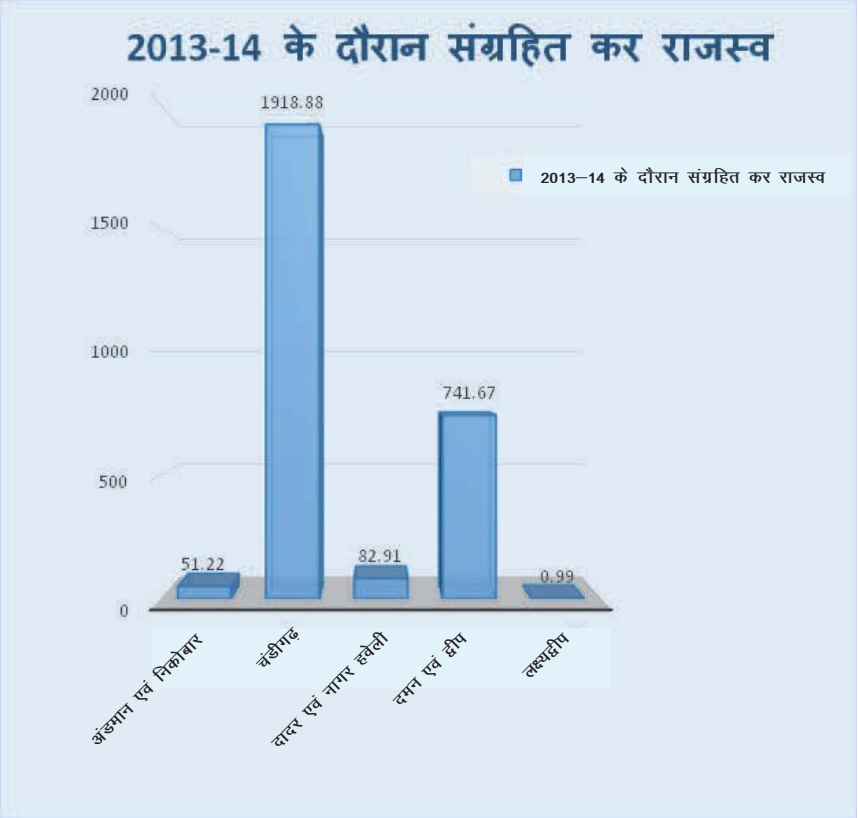

3.1.3 गैर–कर राजस्व

2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान वसूले गए गैर–कर राजस्व के विवरण **तालिका 3.1.3** में दर्शाए गए हैं ।

तालिका 3.1.3

वसूले गये गैर–कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	वर्ष	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादरा एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप	कुल
1.	पुलिस	2012-13	0.36	10.44	0.58	0.26	0.05	**11.69**
		2013-14	0.54	13.39	0.06	0.29	0.04	**14.32**
2.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	3.02	15.41	0.13	0.83	0.15	**19.54**
		2013-14	2.84	20.77	0.01	1.34	0.02	**24.98**
3.	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	2012-13	0.44	31.14	0.64	0.34	0.03	**32.59**
		2013-14	0.29	30.76	0.02	0.43	0.04	**31.54**

4.	आवास	2012-13	0.53	7.97	0.15	0.20	0.25	**9.1**
		2013-14	0.60	5.18	0.01	0.31	0.10	**6.2**
5.	विद्युत	2012-13	84.53	614.2	16.65	1.44	11.20	**728.02**
		2013-14	100.39	741.07	0	127.04	12.67	**981.17**
6.	अन्य	2012-13	110.24	154.83	6.94	3.61	28.70	**304.32**
		2013-14	123.75	139.24	0.37	4.80	38.33	**306.49**
कुल		2012-13	**199.12**	**833.99**	**25.09**	**6.68**	**40.38**	**1105.27**
		2013-14	**228.41**	**950.41**	**0.47**	**134.21**	**51.20**	**1364.69**

कुल गैर–कर राज्स्वों में 2012–13 से 2013–14 तक 23.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि वार्षिक अवधि के दौरान दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीप सं.शा.क्षे. ने विपरीत प्रवृत्तियां प्रदर्शित की थीं। यद्यपि दादरा एवं नागर हवेली में 98.18 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज हुई, उसी अवधि के दौरान दमन एवं दीव द्वारा अर्जित राजस्व में 1909.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। शीर्ष–वार संग्रहों के अनुसार' विद्युत' का योगदान सर्वाधिक रहा जिसमें, 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान कुल गैर–कर राजस्व संग्रहों का क्रमशः 65.87 प्रतिशत तथा 71.90 प्रतिशत था। 2013–14 के दौरान संग्रहित किए गए प्रमुख गैर–कर राजस्वों का अंश निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट–10

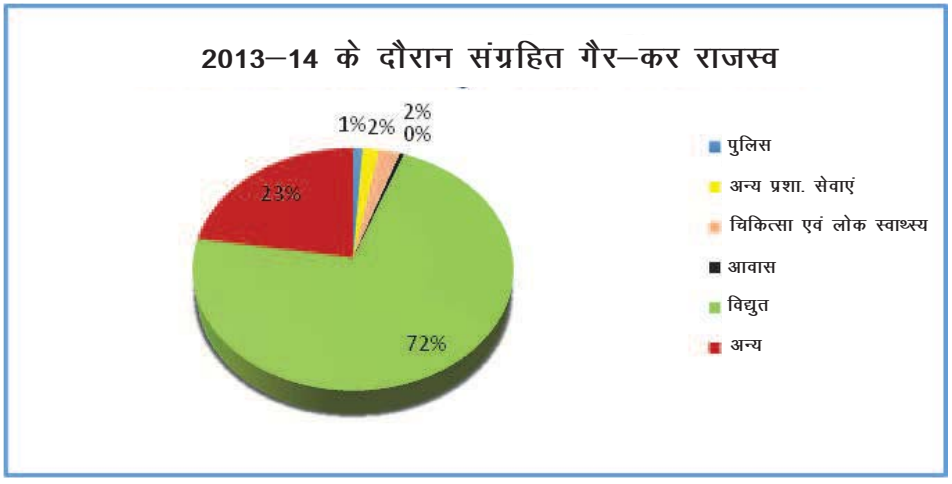

3.1.4 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच विषमता

वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न सं.शा.क्षे. के कर तथा गैर–कर राज्स्व शीर्षों के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों के मध्य विषमताओं को **तालिका 3.1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1.4
बजट अनुमानों तथा वास्तविक राशियों के बीच विषमताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सं.शा.क्षे. का नाम	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	विषमता (+) वृद्धि (–) कमी	प्रतिशतता (ब.अ.के. संबंध में विषमता)
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	कर	42.54	51.22	8.68	20.40
		गैर–कर	200.28	228.41	28.13	14.05
		कुल	**242.82**	**279.63**	**36.81**	**15.16**
2.	चण्डीगढ़	कर	1691.27	1918.88	227.61	13.46
		गैर–कर	885.15	950.41	65.26	7.37
		कुल	**2576.42**	**2869.29**	**292.87**	**11.37**
3.	दादर एवं नागर हवेली	कर	484.84	82.91	-401.93	-82.90
		गैर–कर	7.52	0.47	-7.06	-93.88
		कुल	**492.36**	**83.37**	**-408.99**	**-83.07**
4.	दमन एवं दीव	कर	523.91	741.67	217.76	41.56
		गैर–कर	5.49	134.21	128.72	2344.63
		कुल	**529.4**	**875.88**	**346.48**	**65.45**
5.	लक्षद्वीप	कर	3.94	0.99	-2.95	-74.87
		गैर–कर	54.65	51.2	-3.45	-6.31
		कुल	**58.59**	**52.19**	**-6.4**	**-10.92**

दादरा एवं नागर हवेली के अतिरिक्त, जहाँ वास्तविक प्राप्तियों में अनुमानों के प्रति 83.07 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी। सभी सं.शा.क्षे. में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से अधिक रही थीं। दूसरी ओर, दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. में वास्तविकताएं अनुमानों से 65.45 प्रतिशत तक बढ़ गयी थीं। विधायिका रहित पाँचों सं.शा.क्षे. के संदर्भ में वर्ष 2013–14 हेतु बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों की तुलनाएँ को निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गयी हैं:

चार्ट–11

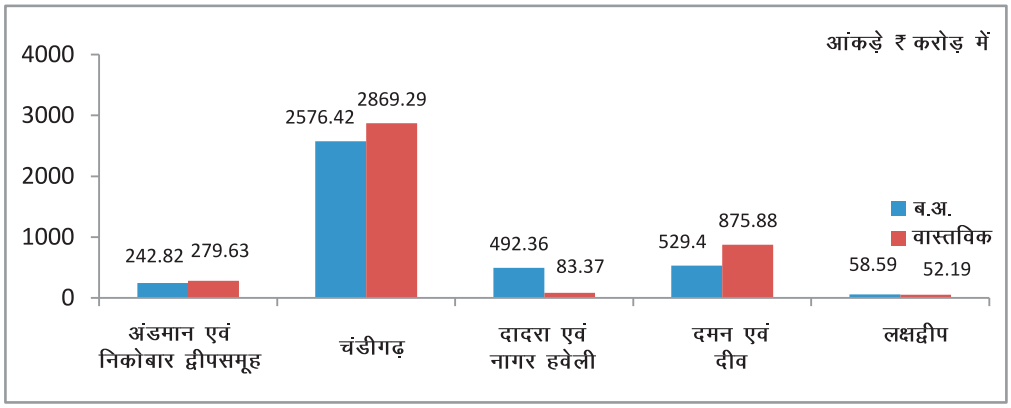

3.2 अनुपालना लेखापरीक्षा मुद्दे

इस अध्याय में नियमों के अनुसार राजस्व का गैर–प्राप्ति से संबंधित मुद्दों पर की गई अभ्युक्त्यों से संबंधित पाँच पैराग्राफ सम्मिलित है। इसकी चर्चा नीचे की गई है:

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय

3.2.1 सेवा कर का उद्ग्रहण न किया जाना

पोतपरिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.) 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान ''राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल एवं तटीय माल की ढुलाई'' के अंतर्गत वर्गीकरण सेवाओं के लिए ₹ 31.93 लाख की राशि का सेवा कर लगाने, संग्रह करने तथा प्रेषित करने में विफल हुआ था।

(I) तटीय माल, (II) राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से भेजा गया माल या (III) अंतर्देशीय जल के माध्यम से भेजे गये माल की ढुलाई से संबंधित सेवाएं वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार सेवा कर की सीमा में आता है। माल की ढुलाई पर 10.30 प्रतिशत की समेकित दर जिस पर अन्यथा भारत सरकार (भा.स.) द्वारा राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से छूट नहीं दी जाती है, उस पर 01 सितम्बर 2009 से सेवा कर लगाया जाना था।

पोत परिवहन सेवाएं निदेशालय (पो.प.से.नि.), अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 (1) के अनुसार ''तटीयमाल की ढुलाई एवं राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल'' के अंतर्गत वर्गीकरण ढुलाई सेवा प्रदान की थी तथा 01 सितम्बर 2009 से इसपर सेवा कर भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला (अक्टूबर 2012) कि 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान, यद्यपि क्रमशः पोर्ट ब्लेयर तथा चैन्नई में पो.प.से.नि. द्वारा छूट प्राप्त न किए गए मदों के लिए ₹1.28 करोड़ तथा ₹1.82 करोड़ की राशि के भाड़ा प्रभार एकत्र किए गए थे, परन्तु पो.प.से.नि. कोई सेवा कर नहीं लगाया था।

इस प्रकार, पो.प.से.नि. 01 सितम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान ''राष्ट्रीय जलमार्गों एवं अंतर्देशीय जल के माध्यम से पहुंचाए गए माल एवं तटीय माल की ढुलाई'' के अंतर्गत वर्गीकरण सेवाओं के लिए ₹31.93 लाख[1] की राशि का सेवा कर लगाने, संग्रह करने तथा प्रेषित करने में विफल हुआ था।

पो.प.से.नि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि अप्रैल 2012 से पूर्व सेवा कर को लगाए जाने के बारे में विभाग को नहीं पता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पो.प.से.नि. द्वारा प्रदान की गई ढुलाई सेवा वित्त अधीनियम 2009 के अनुसार सेवा कर की सीमा में लाई गई थी। यह विभाग की व्यावसायिकता तथा नवीनतम नियमों, विनियमन तथा सरकार के आदेशों

1 (₹1.82 + ₹ 1.28 करोड़) *10.30 प्रतिशत

के अनुसार चलने में विभाग की क्षमता के बारे में चिंता का गंभीर विषय बनता है। इसके अतिरिक्त, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अण्डमान एवं निकोबार प्रभाग ने पो.प.से.नि. को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता तथा माल की ढुलाई पर सेवा कर को लगाए जाने के बारे में बताया था (अगस्त 2011)। लेखापरीक्षा में यह पाया कि कर विभाग से बात होने के बावजूद पो.प.से.नि. को अभी (जनवरी 2015) भी सेवाकर विभाग से पंजीकरण लेना था तथा अप्रैल 2012 से एकत्र किए गए सेवाकर को अन्य विभागीय रसीदों के साथ सरकारी खाते में सीधे प्रेषित किया जा रहा था।

मंत्रालय एवं विभाग को जनवरी 2015 में मामला सूचित किया गया था। विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी। हालांकि, जून 2015 तक मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़

3.2.2 पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम लगाया जाना –₹226.57 लाख

पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क की कम लागू दर लगाए जाने के कारणवश ₹ 226.57 लाख की कम वसूली हुई थी।

दिनांक 30–11–2007 के गृह मंत्रालय के भा.स. ज्ञापन सं. यू. 11015/1/2006–यू.टी.एल. के माध्यम से चण्डीगढ़ के सं.शा.क्षे. को प्रदान किए गए भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1994 एवं अधिनियम 1998 की अनुसूची 1– क के अनुच्छेद 35 के अनुसार पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर शुल्क की निम्नलिखित दरें लागू होती थी।

क्र.सं.	अवधि	शुल्क की दर
1.	एक वर्ष से कम अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	पूर्ण देय राशि ₹1000 पर ₹ 20/– तथा ₹1000/– के आधिक्य में हर ₹500/– या उसके भाग के लिए ₹10/–।
2.	एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के 1000/– पर ₹20/– तथा ₹1000/– के आधिक्य में हर ₹500/– या उसके भाग के लिए ₹ 10/–।
3.	5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की कीमत या ₹1000/– के बराबर की राशि पर ₹30/– और हर ₹500/– या ₹1000/– के आधिक्य में उसके भाग पर ₹15/– ।
4.	10 वर्षों से अधिक तथा 20 वर्षों से कम की अवधि हेतु किराए का पट्टा विलेख	आरक्षित औसत वार्षिक किराए की कीमत या दोगुनी राशि के बाराबर ₹1000/– पर ₹30/– तथा हर ₹500/– या ₹1000/– के आधिक्य में उसके भाग पर ₹15/– ।

दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014 के माह हेतु उप–रजिस्ट्रार, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2015), में लेखापरीक्षा ने पाया कि कम से कम एक वर्ष तथा 5 वर्षों से कम की अवधि (उपरोक्त् तालिका की क्र.सं. 2) के लिए किराए के पट्टे विलेखों हेतु आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के हर 1000 पर ₹15/– लगाकर पट्टे विलेख पंजीकृत किए गए थे। जबकि अधिसूचना के अनुसार औसत आरक्षित वार्षिक किराए की राशि के हर 1000 पर ₹20 की दर से लागू की जानी चाहिए थी। इस चूक के कारण नमूना परीक्षित दो माहों के दौरान ₹2,75,333 की राशि कम लगाई गई थी। उप–रजिस्ट्रार से आगे लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए 30.11.2007 से 31.03.2014 तक विभगीय रूप से स्टांप शुल्क की कम वसूली का समाधान निकालने के लिए कहा गया था (अक्तूबर 2014)।

उप रजिस्ट्रार, चण्डीगढ़ ने सूचना दी (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015) कि नवम्बर 2007 से मई 2014 के दौरान कम वसूली गई ₹ 2,26,56,840 (10,072 पट्टे विलेखों की संख्या पर) की राशि पहचान ली गई थी जिसमें ₹ 73,50,808 की वसूली सरकारी राजकोष, चण्डीगढ़ में जमा राजकोषीय चालानों के रूप में जमा थे उन्हें पार्टी से वसूल कर लिया गया था। ₹1,53,06,032 (6241 पट्टे विलेखों पर) की शेष राशि की वसूली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। उप–आयुक्त सह रजिस्ट्रार सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ ने घटी हुई राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किया तथा पट्टे विलेखों की सूची को भूमि राजस्व की वसूली हेतु कलेक्टर के कार्यालय की संबंधित शाखा को प्रेषित किया गया था। एन.आई.सी. द्वारा कम्प्यूटर प्रणालियों में 2% की बजाए 1.5% की गलत दरों पर स्टांप शुल्क लगाकर पट्टे विलेखों को पंजीकृत किया गया था। उप–आयुक्त सह रजिस्ट्रार ने चूक के लिए दायित्व निर्धारित करने निर्धारित सुधारने के आदेश दिए है (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, कमजोर इनपुट नियंत्रणों एवं शामिल अधिकारियों की असतर्क व्यवहार के कारण स्टांप शुल्क की कम दरें लगाकर पट्टे विलेखों पंजीकृत किए गए थे जिसके कारण ₹226.57 लाख की स्टांप शुल्क की कम वसूली हुई थी जिसमें अप्रैल 2015 तक ₹153.06 लाख की वसूली की जानी थी।

मामले को भा.स.,गृ.मं. के सचिव एवं वित्त सचिव, स.शा.क्षे. को प्रेषित कर दिया गया था। (अक्तूबर 2014 एवं मार्च 2015)। उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

3.2.3 बिजली बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब

विद्युत विभाग, सं.शा.क्षे. चण्डीगढ़ होटल माउंट व्यू चण्डीगढ़ से समय पर निर्धारित प्रभारों की माँग प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹ 40.18 लाख के राजस्व की हानि में हुआ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(1)के अनुसार ''जहॉ कोई व्यक्ति आपूर्ति, संचारण अथवा इसको बिजली प्रदान करने के संबंध में एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी

को उसके द्वारा देय बिजली हेतु कोई भी प्रभार बिजली हेतु प्रभारों के अतिरक्त कोई भी राशि अदा करने की अवहेलना करता है तो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी, ऐसे व्यक्ति को लिखित में स्पष्ट पंद्रह दिनों का नोटिस देने के पश्चात तथा मुकदमें द्वारा ऐसे प्रभारों अथवा अन्य राशि को वसूलने हेतु अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, बिजली की आपूर्ति काट सकती है तथा उस उद्देश्य हेतु किसी भी बिजली आपूर्ति लाईन को काटना या हटाना अथवा अन्य निर्माण कार्य ऐसे अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादक कम्पनी की सम्पत्ति है जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति, संचारण तथा संवितरण प्रदान की गई है तथा वह आपूर्ति को तब तक बंद रखेगा जब तक की इसके द्वारा आपूर्ति को काटने एवं दोबारा जोडे जाने पर किए गए व्यय सहित ऐसे प्रभार अथवा अन्य राशि एक साथ अदा नहीं की जाती।'

इस विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के अनुसार भी ''कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस धारा के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई राशि को उस तिथि, जब ऐसी राशि प्रथम बार देय हुई, से दो वर्षों की अवधि के पश्चात वसूलनीय नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि को आपूर्ति की गई बिजली के प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार न दर्शाया जा रहा हो तथा अनुज्ञप्तिधारी बिजली की आपूर्ति को नहीं काटेगा''।

चण्डीगढ़ प्रशासन, अभियांत्रिकी विभाग (विद्युत स्कंध) ने अधिसूचना दिनांक 30 जून 2005 के माध्यम से 1 अगस्त 2005 से बिजली टैरिफ दरों का संशोधन किया। इस अनुसूची के अनुसार, बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं (ब.आ.), मध्यम आपूर्ति (म.आ.) थोक आपूर्ति तथा गैर–आवासीय आपूर्ति (गै.आ.आ.) उपभोक्ताओं को प्रति माह ऊर्जा प्रभार–336 पैसे/ईकाई की दर तथा निर्धारित प्रभार 60 प्रति कि.वा. की दर पर अथवा संस्वीकृत भार का इसका भाग अदा करना था।

चण्डीगढ़ विद्युत विभाग (च.वि.वि.) के कार्यकारी अभियंता (एक्स.ई.एन.), ओ.पी. डिवीजन के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) ने प्रकट किया सं.शा.क्षे. विद्युत विभाग के प्रवर्तन स्कंध ने 06.02.2006 को चण्डीगढ़ औद्योगिक पर्यटन निगम (च.औ.प.नि.) के अंतर्गत होटल माउंट व्यू (हो.मा.व्यू.) के बिजली कनेक्शन की जांच की तथा पाया कि हो.मा.व्यू. को 682.50 कि.वा. के संस्वीकृत भार के प्रति 2244.340 कि.वा. का भार जोड़ा गया था। इस प्रकार, 1561.840 कि.वा. का अप्राधिकृत विस्तार था। मार्च 2006 में विभाग द्वारा अप्राधिकृत भार के प्रति ₹1171500/– का दण्ड लगाया गया। दण्ड को होटल द्वारा इस दलील पर जमा नहीं किया गया था कि उनका विद्युत भार पहले से ही संस्वीकृत है। मामला फरवरी 2009 तक सहायक कार्यकारी अभियंता (ए.ई.ई.) विद्युत ओ.पी. सब–डिवसब–डिवीजन सं.–2, एक्स.ई.एन., च.ओ.प.नि. चण्डीगढ़ तथा एक्स.ई.एन.., विद्युत ओ.पी डिवीजन सं. 1 के बीच पत्राचारधीन रहा।

ए.ई.ई. विद्युत ओ.पी. सब.डिवीजन 2 ने फरवरी 2009 में एक्स.ई.एन. विद्युत ओ.पी. डिवीजन सं. 1 को सूचित किया कि हो.मा.व्यू. को 982.50 कि.वा. तथा 1559.870 कि.वा. (कुल 2543 कि.वा.) का भार अक्तूबर 1990 में अधीक्षक अभियंता, विद्युत ओ.पी. परिमण्डल सं.शा.क्षे. द्वारा संस्वीकृत किया गया था परंतु इस भार को उपभोक्ता द्वारा शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण से नियमित नहीं किया गया था। यदि भार को पहले से नियमित माना

जाए तो उपभोक्ता से 01 अगस्त, 2005 से ₹ 60/– प्रति कि.वा. की दर से निर्धारित प्रभार वसूले जा सकते है तथा अनुशंसा की जाती है कि भार के विस्तार को ₹ 62,55,780 (2543 कि.वा. हेतु 60 प्रति माह की दर पर 01 अगस्त 2005 से 31 जनवरी 2009 तक 41 महीने) के निर्धरित प्रभारों को प्राप्त किए जाने के पश्चात ही नियमित किया जाए। विभाग ने, विभाग के भीतर लम्बे पत्राचार के पश्चात् 79 महीनों की अवधि (01 अगस्त 2005 से 04 मार्च 2012) के लिए 1860 कि.वा. (2543–683) के अतिरिक्त भार हेतु 01 अगस्त 2005 से लागू टैरिफ अधिसूचना निर्धारित प्रभारों के लिए ₹ 60/– की दर पर हो.मा.व्यू. को मार्च 2012 में ₹ 87,11,160 की माँग प्रस्तुत की।

होटल माउंट व्यू. ने माँगी राशि अदा करने से इंकार कर दिया तथा विरोध किया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार विभाग दो वर्षों की अवधि के बाद राशि वसूलने हेतु उत्तरदायी नहीं है। हो.मा.व्यू ने मामले को विवाद निपटान समिति (वि.नि.स.) को प्रेषित किया। वि.नि.स. ने दिसम्बर 2012 में 04 मार्च 2010 से 04 मार्च 2012 तक दो वर्षों के ₹26,78,400 के निर्धारित प्रभारों को वसूलने का आदेश दिया। हो.मा.व्यू. द्वारा ₹26,78,400 का भुगतान फरवरी 2013 में किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्या विद्युत विभाग, चण्डीगढ़ ने स्वंय फरवरी 2009 में निर्धारित प्रभार के लिए माँग की, जब यह उनके ध्यान में आया कि ₹40.18 लाख की राशि को वसूला जा सकता था। (मार्च 2007 से फरवरी 2010–36 महीने X 60 प्रति कि.वा. प्रभार X 1860 कि.वा.), यद्यपि, लम्बे आंतरिक पत्राचार ने लगभग तीन वर्ष व्यर्थ किए थे और मार्च 2012 में माँग प्रस्तुत की गई थी। ऐसे आहरण माँगों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु उन्नत दक्षता तथा अच्छी प्रणालियों की माँग करते हैं।

मामला भा.स., गृ.मं. तथा सचिव वित्त, सं.शा.क्षे. को प्रेषित किया गया था (सितम्बर 2014); उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दादर एवं नागर हवेली, पर्यटन विभाग

3.2.4 किराए की आय पर सेवा–कर का संग्रहण न होना

पर्यटन विभाग, दादर एवं नागर हवेली ने पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर सेवा कर नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप पट्टाधारकों तथा पर्यटकों से ₹32.74 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हुई थी तथा फलस्वरूप सेवा कर के विलंबित भुगतान के कारण ₹18.79 लाख के ब्याज का भुगतान देयता के रूप में हुआ था।

अचल संपत्ति को किराए पर लिए जाने को अधिसूचना सं. 23/2007 के माध्यम से सेवा कर की सीमा के अंतर्गत लाया गया था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (90क) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, ''अचल संपत्ति को किराए पर दिए जाने'' में किराए पर दिए जाना, भाड़े पर देना, पट्टा लाइसेंस या कार्यप्रणाली में उपयोग हेतु अचल संपत्ति के अन्य समान प्रबंध या व्यापार या वाणिज्य के भाग बढाना शामिल था। तदनुसार किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, किराए के अलावा, समय–समय पर सेवा कर विभाग द्वारा निर्दिष्ट दर पर सेवा कर की भी वसूली की जानी थी तथा उसे सरकारी खाते में जमा करवाना

था। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 में सेवा कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनिवार्य प्रभार प्रदत्त है।

पर्यटन विभाग, सिलवासा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि पर्यटन विभाग, सिलवासा ने निजी दलों को पट्टे पर/पर्यटकों को किराए पर संपत्तियां दी थी;

(1) चौड़ा में वनविहार पर्यटक परिसर को 28 दिसम्बर 2001 से वनधारा रिसॉर्टर्स प्राइवेट लि.मि. को ₹15,71,400/– प्रतिवर्ष की दर पर पट्टे पर दिया गया था,

(2) होटल यात्री निवास, सिलवासा को पॉप्यूलर होटल, सिलवासा को 23, अप्रैल 2011 से ₹15,11,155/– की दर पर पट्टे पर दिया गया था,

(3) फास्ट फूड रेस्टोरेंट, सिलवासा को 08, मई 2007 से ₹1,40,001/– की दर पर ब्लू हेवन हॉस्पीटलिटिस को पट्टे पर दिया गया था,

(4) दुधनी तथा कंचा में 18 बंगलों को पर्यटक विभाग द्वारा पर्यटकों को किराए पर दिया गया था।

वनधारा रिसॉर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, पॉप्यूलर होटल, सिलवासा तथा ब्लू हेवन हॉस्पीटेलिटिस, सिलवासा में निष्पादित पट्टा अनुबंधों के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई भुगतान योग्य अन्य प्रभारों को पट्टेदार द्वारा अलग से भुगतान करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि पर्यटन विभाग ने न तो पट्टा धारकों से ₹25.85 लाख का सेवाकर एकत्रित किया था और न ही उसका भुगतान सेवा कर विभाग को किया था। इसके अलावा, धुधनी एवं कंचा में स्थित 18 बंगले क्रमशः ए.सी. तथा नॉन ए.सी. कमरों के लिए ₹1500/– एवं ₹1000/– प्रतिदिन की दर पर पर्यटन विभाग, सिलवासा द्वारा किराए पर दिए गए थे। हालांकि, 2007–08 से लेकर 2013–14 तक पर्यटकों से ₹6.89 लाख **(अनुबंध–XII)** का सेवाकर प्रभारित नहीं किया गया था तथा इसकी वसूली नहीं की गई थी। उस समय से, सेवा कर के संग्रहण का प्राथमिक उत्तरदायित्व सेवा प्रदानकर्ता अर्थात् पर्यटन विभाग का है, विभाग द्वारा ₹18.79 लाख **(अनुबंध–XII)** के ब्याज का भी भुगतान किया जाना था। इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर पर्यटन विभाग द्वारा सेवाकर के न लगाए जाने के कारण विभाग पर ₹51.54 लाख **(अनुबंध –XII)** की देयता होगी जिसे कि अगर पट्टेदारों से संग्रहित नहीं किया जाएगा तो इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2014) विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और सूचित किया कि सेवाकर नाम पर दोनों दलों से ₹10.01 लाख की राशि की वसूली की गई थी। शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।

सं.शा.क्षे. सरकार को उपयुक्त रूप से अपने विभागों तथा कार्यालयों की संवेदनशील बनाने की अवश्यकता है ताकि सांविधिक कर तथा उगाही संग्रहित की जा सके तथा इसका भुगतान समय पर किया जाए।

मामले को दिसम्बर 2014 में गृह मंत्रलाय को मामला प्रेषित किया किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

3.2.5 राजस्व की हानि

दमन जिले के जमपोर एवं देवका के समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण हेतु योजना को कार्यान्वित करने में सं.शा.क्षे. प्रशासन के विफल होने के कारणवश ₹114.60 लाख की राशि तक की राजस्व हानि हुई थी।

पर्यटन निदेशक, दमन, (जून 2011) ने दिनांक 27 जून 2011 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से 'दमन जिले के जमपोर एवं देवका के समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण' के लिए योजना संस्वीकृत की थी। योजना के अनुसार, प्रदान की गई अनुमति केवल एक वर्ष के लिए वैध होगी तथा इसे नवीकृत/पुर्नआंवटित करना विभाग का निर्णय होगा। प्रत्येक लाभार्थी को उसे प्रदान की गई अवधि हेतु ₹15000/– की राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा। प्रत्येक झोपड़ियों के आवंटिती से ₹15,000 की जमा प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष लाइसेंसों का नवीकृत किया जाएगा।

सं.शा.क्षे. के पर्यटन विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में योजना के कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं;

(क) लाइसेसों का नवीकरण न किए जाने के कारण हानि।

एक अवधि (अक्तूबर से जून) के लिए नवम्बर 2011 में जमपोर समुद्री तट पर 50 झोपड़ियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। योजना में प्रावधान था कि प्रत्येक आबंटिती से ₹15,000 प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक लाइसेंसों को नवीकृत किया जाएगा। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंसों को नवीकृत नहीं किया था तथा झोपड़ियों का उपयोग नवीकरण शुल्क के भुगतान के बिना ही किया जा रहा था। इस प्रकार, लाइसेंसों के नवीकरण न किए जाने के कारण विभाग को ₹22.50 लाख (15000 X 50 छोटे कमरे X 3 वर्ष) के राजस्व की हानि हुई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति अपने उत्तर में, विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि किसी लाइसेंस को नवीकृत नहीं किया गया था क्योंकि ड्राफ्ट नीति तैयार थी परंतु उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक पहलू को आवृत करते नीति को जून 2011 में बना लिया गया था, इसके बावजूद वह समय–समय पर नवीकरण शुल्क को एकत्रित करने के तंत्र को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

(ख) सरकारी खातों में ₹7.5 लाख जमा न किया जाना

विभाग ने जमपोर समुद्री तट पर झोपड़ियों के लिए 50 लाइसेंस जारी किए (नवम्बर, 2011) तथा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक आंवटिती से ₹15000 जमा के रूप में प्राप्त किए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिमांड ड्राफ्टों को सरकारी खातों में जमा करने में विभाग विफल हुआ तथा इन ड्राफ्टों को तीन वर्षों से भी अधिक तक कार्यालय में रखा गया था। इसलिए, विभाग की लापरवाही के कारण ₹ 7.50 लाख का राजस्व सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया था जिसके कारणवश सरकार को हानि हुई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रति अपने उत्तर में विभाग ने बताया (अप्रैल 2015) कि ₹ 7.50 लाख की राशि को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एकत्रित किया गया था तथा बैंक में जमा करते समय इसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, बैंक एवं झोपड़ियों के आवंटियों के साथ मिलकर सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जमपोर एवं देवका समुद्री तट पर 141 झोपड़ियों का अवैध रूप से उपयोग किया जाना।

नीति का प्रमुख उद्देश्य इन समुद्री तटों से अवैध झोपड़ियों को हटाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जमपोर समुद्री तट पर ऐसे 51 झोपड़ियों तथा देवका समुद्री तट पर 90 झोपड़ियां थी जो कि पिछले चार वर्षों से बिना लाइसेंस के उपयोग किए जा रहें थे। हालांकि, विभाग ने अवैध झोपड़ियों को हटाने/नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार, जबकि झोपड़ियां बिना लाइसेंस के उपयोग में लाए जा रहे है, विभाग की ओर से अनिर्णय की स्थिति के कारणवश ₹ 84,60,000 (15,000 X 141 X4 वर्ष) के राजस्व की हानि हुई थी। विभाग ने बताया कि चूंकि ड्राफ्ट नीति तैयार थी परंतु उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए अवैध झोपड़ियों को हटाने/नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा की दृष्टि में जून 2011 में जारी की गई अधिसूचना में जमपोर एवं देवका समुद्री तटों पर अस्थाई झोपड़ियों के निर्माण हेतु नीति तैयार करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया था। सं.शा.क्षे. प्रशासन अधिसूचना की नियमों एवं शर्तों को कार्यान्वित करने में विफल रहा जिसके कारणवश ₹30 लाख की हानि हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड ड्राफ्टों को समय पर सरकारी खातों में जमा नहीं किया गया था तथा झोपड़ियों के आवंटियों से नवीकरण शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया था। इसके अलावा, अवैध झोपड़ियों पर कार्रवाई न किए जाने के कारण भी सरकार को ₹84.60 लाख के राजस्व की हानि हुई थी।

मार्च 2015 में सं.शा.क्षे. प्रशासन तथा मई 2015 में मंत्रालय को मामला प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था

नई दिल्ली **(सतीश लूम्बा)**
दिनांकः **महानिदेशक लेखापरीक्षा**
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**